

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2022—ज्येष्ठ 26, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जून 2022

क्र. एफ 1-3-2017-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक—“पच्चीस-जनजातीय कार्य विभाग” के अधीन—

(1) भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“2-मध्यप्रदेश जनजाति मंत्रणा परिषद”

(2) भाग (इ) में, अनुक्रमांक 1, 2 एवं 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “1. आयुक्त, जनजातीय कार्य
2. संचालक, जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान
3. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2022

क्र. एफ 1-3-2017-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-3-2017-एक (1), दिनांक 16 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2022

No. F 1-3-2017-One (1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule, Under the heading "XXV-Tribal Affairs Department",—

(1) In part (A) Matters of Policy dealt within the Department, the serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"2. Madhya Pradesh Tribes Advisory Council."

(2) In part (C) for serial numbers 1, 2 and 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

- "1. Commissioner, Tribal Affairs
2. Director, Tribal Research and Development Institute
3. Director, Tribal Area Development Planning."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GIRISH SHARMA, Dy. Secy.